THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (c) According to two separate community surveys conducted in Delhi during the period 1982—1988 and 1989—1994 by the Sita Ram Bharatia Institute and the All India Institute of Medical Sciences, respectively, prevalence of coronary heart disease was found to be close to 10% in adult males and females. Studies of immigrant Indian Communities in several countries (UK, Trinidad, Fiji, Singapore, South Africa, Mauritius, USA) have consistently reported that people of Indian origin are at a higher risk of morbidity and mortality due to coronary heart disease.

Health Education, Counselling to pa tients and provision/augmentation of treatment facilities are among the measures introduced.

A Pilot Project for control of Cardio Vascular Diseases has also been launched during the current financial year.

Funds of CAPART

*380. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Council for Advancement of Peoples action and Rural Technology (CAPART) had ordered a CBI inquiry in to squandering of its funds by iocial organisations as reported in the Jansatta of 14th and 15th July, 1995;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action Gvoernment have taken/ propose to take in the matter? .

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DR. JAGANNATH MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) CAPART has referred the cases of 61 Voluntary Organisations to CBI for investigation. Further action would be taken on receipt of CBI's report.

ग्राम स्तर पर न्यायालयों के संबंध में निगम आयोग की सिफारिशें

2509. **श्री अजीत जोगी** :

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगम आयोग ने गांव स्तर पर न्यायालय स्थापित किए जाने के संबंध में सिफारिशें की हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने, अपनी 114वीं रिपोर्ट में, प्रत्येक तालुक/तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की सिफारिश की हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर न्याय उपलब्ध कराया जा सके । किसी ग्राम को प्रशासन की इकाई के रूप में लिया जाएगा । राज्यो में न्याय पंचायतों स्थापित किए जाने के प्रश्न पर 3 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में हुए पंचायत मंत्रियों और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के सचिवों के सम्मेलन में विचार किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि न्याय पंचायतें, जिन्हें पद्धति समझा गया था, पंचायती राज के संबंध में राज्य विधान का भाग बन सकती थीं या उनके संबंध में राज्य विधान का भाग बन सकती थीं या उनके संबंध में पृथक, रूप से विधान बनाया जा सकता था । तथापि, संविधान के भाग-9 में न्याय पंचायतों का उल्लेख नहीं किया गया है । और उत्तर प्रदेश बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे बहुत कम राज्यों ने पंचायती राज के संबंध में अपने विधान में न्याय पंचायतों का उपबंध सम्मिलित किया है । फिर भी, पंचायती राज विधान में न्याय पंचायतों से संबंधित उपबंधों का किया जाना राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता के भीतर है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भवनों में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश

2510. **श्री गोविन्दराम मिरी** :

श्री पराग चालिहा :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पूर्व निर्मित भवनों में और मंजिलों